

Meticulous Investigation & Conviction

Fatehgarh Police



पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहगढ़ के निर्देशन में प्रभावी व सर्तक पैरवी से हुई हत्या/आयुध अधिनियम के अपराध में अभियुक्तगणों को मृत्युदण्ड व 1,20,000/रु० के अर्थदण्ड की सजा।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, जनपद फतेहगढ़ के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी पैरवी करी गयी जिसके फलस्वरूप हत्या/आयुध अधिनियम के अपराध में अभियुक्तगणों को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया व जुर्माना 1,20,000/रु० के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस ने दिनांक 03.11.2022 को हत्या/आयुध अधिनियम में अभियुक्तगण 1- मो० कलीम पुत्र मो० अलीम नि० मो० छावनी फाटक कोतवाली फर्रुखाबाद 2- मो० शकील पुत्र कादिर नि० खटकपुरा सिददीकी कोतवाली फर्रुखाबाद के अन्तर्गत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मानीटरिंग सेल व कोतवाली फर्रुखाबाद के पैरोकार का० 582 तुलाराम कोतवाली फर्रुखाबाद द्वारा निरन्तर की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई०सी०) एक्ट फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ ने मृत्युदण्ड से दण्डादेश व 1,20,000/रु० अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्तगण का नाम पता:-

- 1- मो० कलीम पुत्र मो० अलीम नि० मो० छावनी फाटक कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
- 2- मो० शकील पुत्र कादिर नि० खटकपुरा सिददीकी कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।

पंजीकृत अभियोग:-

- 1-मु०अ०सं० 1002/2007 धारा 147/148/149/302 भा०दं०स० कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
- 2-मु०अ०सं० 1012/2007 धारा 25/4 आयुध अधि० कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
- 3-मु०अ०सं० 1011/2007 धारा 25/27 आयुध अधि० कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।

